an>

Title: Need to release arrears of funds for disbursement of scholarships to students belonging to Backward Classes in Maharashtra.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई-उत्तर) ः महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र की ओर से वर्ष 2001-02 से वर्ष 2013-14 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ रूपये की रिम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं और उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाइंडर लेटर भी प्रेषित किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक यह बकाया राशि जारी नहीं की गयी है। राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केन्द्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः मेरा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केन्द्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।